फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

युग्रो कैपिटल पंजिकृत कार्यालय एक्यूनोक्स, बिजनस पार्क, टावर–3, फोर्थ फ्लोर, ऑफिस बीकेसी, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुम्बई – 400070 जरिये अधिकृत प्राधीकारी भंवर सिंह झाला पिता उंकार सिंह झाला **– प्रार्थी कम्पनी**

बनाम

1. डिवाइन एक्सपोर्ट, छापरखेडी, तहसील व जिला राजसमन्द। **– ऋणी**
2. जगदीश चन्द्र पुत्र श्री नारायणलाल सोलंकी प्रोपराईटर डिवाईन असिस्टेन्स निवासी छापरखेडी, तहसील व जिला राजसमन्द।
3. मुकेश जोशी पुत्र श्री नारायण लाल प्रोपराईटर डिवाईन असिस्टेन्स निवासी छापरखेडी, तहसील व जिला राजसमन्द।
4. राजेश्वरी पालीवाल प्रोपराईटर डिवाईन असिस्टेन्स निवासी छापरखेडी, तहसील व जिला राजसमन्द। **– सहऋणी**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 01/2024**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29.01.2024 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी युग्रो कैपिटल, मुम्बई ने दिनांक 22.12.2023 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी फर्म द्वारा प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण अनुबंध खाता संख्या HCFUDPSEC00001024631 दिनांक 22.07.2022 से कुल 34,80,240/– अक्षरे चौतीस लाख अस्सी हजार दो सौ चालीस रूपये ऋण प्राप्त किया था। अप्रार्थी संख्या 02 से लगायत 04 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्ति – खसरा नम्बर 474/2, 475/1, 476/3, 479/4 क्षैत्रफल 1633.46 वर्गमीटर ग्राम छापरखेडी, तहसील व जिला राजसमन्द जिसके पडौस निम्न प्रकार से है – पूर्व : ऋणी स्वयं एवं रमाकान्त, राजेश की भूमि, पश्चिम : रूपशंकर व चुन्नीलाल की भूमि, उत्तर : आम रास्ता, दक्षिण : खसरा नम्बर 476/1 को ऋणदाता कंपनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 02.09.2023 को ऋण खाते में भुगतान व्यतिक्रम होने से अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खातो को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण से उक्त ऋण खाता संख्या HCFUDPSEC00001024631 दिनांक 02.09.2023 से 32,02,510/– रूपये अक्षरे बतीस लाख दो हजार पॉच सौ दस रूपये का उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 07.09.2023 को एक मांग नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक	b.

के माध्यम से अप्रार्थी को उनके ज्ञात पतें पर प्रेषित किया जो भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट अनुसार दिनांक 15.09.2023 को प्राप्त हो गया। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। प्रार्थी कम्पनी उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 07.09.2023 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट की प्रति पेश की गई। उसके बावजुद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी युग्रो कैपिटल, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति खसरा नम्बर 474/2, 475/1, 476/3, 479/4 क्षैत्रफल 1633.46 वर्गमीटर ग्राम छापरखेडी, तहसील व जिला राजसमन्द जिसके पडौस निम्न प्रकार से है – पूर्व : ऋणी स्वयं एवं रमाकान्त, राजेश की भूमि, पश्चिम : रूपशंकर व चुन्नीलाल की भूमि, उत्तर : आम रास्ता, दक्षिण : खसरा नम्बर 476/1 है।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी युग्रो कैपिटल, मुम्बई के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी युग्रो कैपिटल, मुम्बई को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ.भवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)